न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं023/2022

रत्तीराम पुत्र जवाली जाति मीणा निवासी अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा
...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा जरिये सरपंच

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.1.2002

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 की ओर से

दायर दिनांक 22.9.2022

:: निर्णय ::

दिनांक 23 .9.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा के आदेश कमांक:आर11ए (1) 2002/665 दिनांक 29.1.2002 के द्वारा ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39हैं. में से 1.50 है. भूमि बैरवा समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर दौसा के प्रश्नगत आदेश से व्यथित होकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई में अपील दायर की गई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2005 के द्वारा जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 29.1.2002 को अपास्त किया जाकर बाद पुनः सुनवाई की जाकर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है ।

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2005 द्वारा पुनः सुनवाई कर दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपील न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व तहसीलदार महवा की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है। अधिवक्ता अपीलांट व अप्रार्थी राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39हैं. में से 1.50हैं. भूमि पर प्रार्थी की बगीची लगी हुई है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का कब्जा उसके पिता के समय से संवत 2021 से आज दिनांक तक लगातार चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त बगीची में हजारों पेड लगा रखे हैं तथा रहवास बना रखा है। ग्राम के कुछ लोग व सरपंच प्रार्थी अपीलांट से रंजिश रखते हैं इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत व तहसीलदार से गलत रिपोर्ट दिलवाकर प्रार्थी अपीलांट के कब्जे की बगीची वाली भूमि को सैट अपार्ट करवा लिया गया। इस आदेश की आड में कुछ लोग व सरपंच जिनकी भूमि अपीलांट की उक्त भूमि के लगती हुई है, बगीची को नष्ट करने तथा अपीलांट को भूमि से बेदखली करने को आमादा है। राजस्व अभियान कैंप में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:22 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....2 पर

प्रार्थी अपीलांट ने नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, किन्तु नियमन प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श न करके उक्त भूमि का गलत प्रस्ताव भेजकर सैट अपार्ट करा दी। जिला कलक्टर दौसा को विवादित आराजी के नियमन का अधिकार होते हुए भी अपने अधिकारों को उप जिला कलक्टर महवा को डेलीगेट किया जाकर कानूनी भूल की है। उप जिला कलक्टर महवा को कानूनन जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। जांच करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। राज्य सरकार की मंशा यह रही है कि राजकीय भूमि पर पार्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यक्ति को वृक्ष लगाने चाहिए तथा उन वृक्षों पर स्वामित्व व आधिपत्य वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति का होगा। किन्तु इस प्रकरण में इस तथ्य पर जिला कलक्टर दौसा ने गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त भूमि को नियमन करने हेतु अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर नायब तहसीलदार महवा ने सिफारिश की है। फिर भी जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रार्थी को बिना सुने व उसका पक्ष जाने बिना ही जिला कलक्टर दौसा ने भूमि को सैट अपार्ट कर दिया। खसरा नंबर 32 का एक इंच भू भाग भी मौके पर खाली नहीं है। उक्त भूमि के संपूर्ण रकबे पर सडक बनी हुई है तथा बहुत से लोगों के आवास बने हुए है तथा प्रार्थी का भी आवास व बगीची बनी हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम अकबरपुर स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 में से 0.65है. भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि आम जनता ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के अनुरोध पर, ग्राम पंचायत कमालपुर पंचायत समिति महवा की अभिशंषा, तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व विकास अधिकारी महवा की सिफारिश के आधार पर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39है. में से 1.50है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथा संशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज कर बैरवा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तथा अन्य आवास विहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। उक्त भूमि राजकीय चरागाह भूमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत कमालपुर के सर्वसम्मत प्रस्ताव, तहसीलदार(भूमिधारी) महवा व विकास अधिकारी पंचायत समिति महवा की सिफारिश के आधार पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर उक्त भूमि को विधिवत रूप से चरागाह से खारिज कर आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) किया गया है। तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट श्री रत्तीराम पुत्र जवालीराम मीणा का खसरा नंबर 32 में वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। भूमि राजकीय कन्या महाविधालय महवा को 1.30है0 भूमि आवंटित है। उक्त आवंटित भूमि के पास ही 0.35है0 भूमि पर रा0प्रा0विधालय संचालित है तथा सामने रोड के दूसरी ओर बैरवा समाज के परिवार लगभग 0.90है. भूमि पर बसे हुए है तथा 0[illegible] सिंचाई विभाग एवं 0.25है. भूमि पर पशु औषधालय संचालित है। अ[illegible] संबंधित पत्रावली तहसील कार्यालय महवा या उपखंड कार्यालय महवा [illegible] की गई है ना ही कोई पत्रावली विचाराधीन है। बजट घोषणा [illegible] 2022–23 की अनुपालना व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधालय की मांग एवं शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान जयपुर व संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर व प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 अकबरपुर पं.स.महवा तथा ग्राम पंचायत कमालपुर पं.स. महवा की अनापत्ति एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:22 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....3 पर

तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखंड अधिकारी महवा की सिफारिश व अभिशंषा के आधार पर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 7.89है. में से 0.85है. व खसरा नंबर 335/32 रकबा 0.80है0 (जो पूर्व में रा0प्रा0वि0 अकबरपुर हेतु आवंटित हुई है) में से 0.45है. कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि को राजकीय कन्या महाविधालय, महवा के भवन निर्माणार्थ आवंटित की जा चुकी है। राजकीय कन्या महाविधालय महवा को आवंटित भूमि मौके पर खाली है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रत्येक दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.1.2002 के द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39हैं. में से 1.50है. भूमि को आबादी में सैट अपार्ट करने के पारित आदेश को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप बांदीकुई में चुनौती दी गई। प्रार्थी की मूल व्यथा यह है कि प्रश्नगत भूमि पर उसका पुराना कब्जा है और अपीलांट कब्जे के आधार पर भूमि को नियमन कराने का अधिकारी है। प्रार्थी को भूमि सैट अपार्ट करने का आदेश पारित करने से पूर्व नहीं सुना गया है। अपीलांट को कार्यालय से नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि की किस्म चरागाह है, जिसमें से जिला कलक्टर दौसा के पत्र क्रमांकः आर11ए(1)2002/665 दिनांक 29.1.2002 के द्वारा ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के खसरा नंबर 32 रकबा 8.39है0 में से 1.50है0. भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथा संशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज कर बैरवा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तथा अन्य आवास विहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई भूमि में कच्चे व पक्के मकान बनाकर लगभग 20 वर्षों से बैरवा समाज के लोग निवास कर रहे हैं एवं अम्बेडकर प्रतिमा भी लगी हुई है। साथ ही राजकीय प्राथमिक विधालय, पशु औषधालय एवं सिंचाई विभाग के कार्यालय बने हुए है। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित भूमि वर्तमान में खाली है जो कि राजकीय कन्या महाविधालय महवा को आवंटित की जा चुकी है। अतः अपीलांट का यह कथन सत्य नहीं है कि अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर रहवास कर रहा है एवं हजारों पेड लगा रखे है। विवादित भूमि की किस्म चरागाह होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जो कि नियमन योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन नंबर 326/2022 उनवानी श्री राजस्थान गौ सेवा समिति बनाम राजस्थान राज्य में यह आदेश पारित किया गया है कि [illegible] अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का नियमन नहीं किया जावे। साथ ही तह[illegible] महवा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अपीलांट का नियमन [illegible] या उपखंड कार्यालय महवा में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य [illegible] भूमि बेशकीमती भूमि है, जिसको भविष्य में विभिन्न राजकीय कार्यालयों के लिए आर[illegible] किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:22 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

निरंतर....4 पर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ राजस्व शाखा कलैक्ट्रेट दौसा व उपखंड अधिकारी महवा तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 सितंबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:22 IST
Reason: SelfAttested